प्रेस-नोट दि0-23.08.2025, जनपद- प्रतापगढ़

थाना- हथिगवां, जनपद- प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 25000-25000/- रुपये के ईनामिया कुल 03 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत बछलदा मऊ तिराहा के पास थाना हथिगवां पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 02 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी व अन्य 01 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया।

घायल अभियुक्तों जीशान, आजाद को ईलाज हेतु सीएचसी कुण्डा ले जाया गया है, जहां से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया है।

अभियुक्तों कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 अदद 12 बोर तमंचा, 01 अदद खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटर साइकिल बरामद-

अभियुक्तों पर जनपद प्रतापगढ़ के थाना हथिगवां पर हत्या का प्रयास, मारपीट जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत है।

दिनांक 16.08.2025 को थाना हथिगवां क्षेत्रांतर्गत जियो पेट्रोल पंप, ग्राम बछरौली में पेट्रोल डलवाने के विवाद को लेकर अपाचे मोटर साइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया था, जिससे पीडित व्यक्ति को छर्रे लग गये थे। जिसके सं◌ंबंध में थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 160/2025 धारा 109, 352 बीएनएस बनाम 02 व्यक्ति अज्ञात का अभियो◌ेग पंजीकृत किया गया है।

उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटना का अनावरण/ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए थे। निर्देश के क्रम में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा अभियुक्तों की पहचान हेतु सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 23.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में थाना हथिगवां के निरीक्षक श्री अयोध्या कुमार, उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह, उ0नि0 श्री वनवारी पाल, हे0का0 संग्राम सिंह, का0 मानवेन्द्र सिंह, का0 आशीष कुमार, का0 विपिन शाश्वत द्वारा थाना थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत

बछलदा मऊ तिराहा के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 25000-25000/- रुपये के ईनामिया 03 शातिर अभियुक्तों, 01. अभियुक्त मो0 जीशान पुत्र मोहम्मद असलम निवासी भुलसा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 24 वर्ष के दाहिने पैर में लगी गोली, 02. आजाद पुत्र राशिद फारुकी निवासी बछरौली थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष के बाएं पैर में लगी गोली, 03. मोहम्मद अशरफ उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद असलम निवासी भुलसा थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 27 वर्ष को मौके से गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्तों को ईलाज हेतु सीएचसी कुण्डा ले जाया गया है, जहां से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तों कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 अदद 12 बोर तमंचा, 01 अदद खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटर साइकिल बरामद किया गया। जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

25000-25000/- रुपये के ईनामिया घायल/ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. घायल अभियुक्त मो0 जीशान पुत्र मो0 असलम निवासी भुलसा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 24 वर्ष।
02. घायल आजाद पुत्र राशिद फारुकी निवासी बछरौली थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष।
03. गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद अशरफ उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद असलम निवासी भुलसा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 27 वर्ष।

25000-25000/- रुपये के ईनामिया घायल/ गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01- घायल अभियुक्त मो0 जीशान पुत्र मो0 असलम निवासी भुलसा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 24 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 163/2021 धारा 323,504,506,341 भादवि थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 76/2025 धारा 115(2), 352, 109 बीएनएस थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 160/2025 धारा 109,352 बीएनएस थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

02- घायल आजाद पुत्र राशिद फारुकी निवासी बछरौली थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 76/2025 धारा 115(2), 352, 109 बीएनएस थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।
02.मु0अ0सं0 160/2025 धारा 109,352 बीएनएस थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद अशरफ उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद असलम निवासी भुलसा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 27 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 163/2021 धारा 323,504,506,341 भादवि थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
निरीक्षक श्री अयोध्या कुमार, उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह, उ0नि0 श्री वनवारी पाल, हे0का0 संग्राम सिंह, का0 मानवेन्द्र सिंह, का0 आशीष कुमार, का0 विपिन शाश्वत थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

चोरी की घटनाओं में संलिप्त शातिर 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान व अवैध देशी बम बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के कुशल निर्देशन में अन्तू पुलिस की महत्वपूर्ण सफलता, चोरी का माल व अवैध विस्फोटक बरामद

अभियुक्त को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग के पार भवानीपुर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 21/22.08.2025 सुबह में वादी निवासी जालिपा नगर अन्तू थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ के घर के सामने गुमटी मे उसकी दुकान का ताला तोडकर पेटी में रखा दस हजार रुपया व दुकान का सामान चोरी कर लिया है एवं उसकी दुकान से कुलदीप कुमार गुप्ता पुत्र महादेव गुप्ता निवासी जालिपानगर अन्तू थाना अन्तू व सुरेन्द्र वर्मा उर्फ निक्कू वर्मा पुत्र रामेस्वर वर्मा उर्फ लाले वर्मा निवासी पूरे बैजनाथ थाना अन्तू जनपद प्रातापढ़ ने मिलकर चोरी की है। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 281/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 गौतम बनर्जी, का0 अनिल यादव, का0 उपेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना अंतू पर मु0अ0सं0 281/2025 धारा 305 बीएनएस से संबंधित चोरी के नगद 3550 रुपए, गुटका सिग्नेचर-6 पुड़िया, सिगरेट-2 डिब्बी, राजश्री गोल्ड-19 पुड़िया, कमला पसंद-30 पुड़िया, राजश्री प्रीमियम

मसाला -24 पुड़िया, तंबाकू डबल ब्लैक-46 पुड़िया, तंबाकू सिल्वर टच - 15 पुड़िया, तुलसी तंबाकू-9 पुड़िया, पार्ले जी बिस्कुट 108 पीस, 20-20 बिस्किट्स - 48 पीस, साबुन नहाने का लाइफ बाय- 4 अदद, डेटॉल-2 अदद, लक्स-2 अदद एवं मु0अ0सं0 272/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस से संबंधित चोरी के 20 किलो गेहूं और 20 किलो चावल एवं 04 अदद देशी बम के साथ 01. कुलदीप कुमार गुप्ता पुत्र महादेव गुप्ता निवासी ग्राम जालिपा नगर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 33 वर्ष को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग के पार भवानीपुर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे बरामदगी के संबंध में उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस एवं 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई है ।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 22/08/2025 को 4:00 बजे भोर में वादी जालीपा नगर थाना अंतू की जनरल स्टोर की गुमटी में चोरी किया गया गुटका, सिगरेट, साबुन, बिस्कुट, एवं चोरी किए गए गल्ले में से 3550 रुपए है एवं 4 जिंदा देसी बम है, एवं दोनों बोरियों में 20-20 किलो गेहूं और चावल है। जिसको मैंने दिनांक 10/08/2025 को रात्रि में प्राथमिक विद्यालय कमालुद्दीनपुर से चोरी किया था। मेरे द्वारा प्राथमिक विद्यालय कमालुद्दीनपुर से एक गैस सिलेंडर बड़ा वाला, एक कुकर, एक स्टैंडिंग फैन एवं एक-एक बोरी गेहूं और चावल चोरी किया था।

वादी की गुमटी जालीपा नगर से मैं और मेरा साथी सुरेंद्र वर्मा उर्फ निक्क वर्मा पुत्र रामेश्वर वर्मा उर्फ लाले वर्मा निवासी पुरे बैजनाथ थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ दोनों ने मिलकर चोरी किया था मेरे पास इतना ही समान एवं पैसा है। बाकी पैसा एवं समान सुरेंद्र वर्मा उर्फ निक्कू वर्मा के पास है, जो अपना मोबाइल बंद करके बिना मुझे बताए अज्ञात स्थान पर भाग गया है। प्राथमिक विद्यालय कमालुद्दीनपुर से मे अकेले ही एक गैस सिलेंडर बड़ा वाला, एक कुकर, एक स्टैंडिंग फैन एवं एक- एक बोरी गेहूं और चावल चोरी किया था। मेरे पास मात्र 20 किलो गेहूं 20 किलो चावल बचा था बाकी चावल व सामान मैंने राह चलते अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया था, जिसका नाम पता मुझे ज्ञात नहीं है। रखे हुए अवैध देशी बम के संबंध में पूछा गया है तो बताया कि साहब इस बम के द्वारा मै लोगों को डरा धमका कर घटना करके भाग जाता था

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

01. कुलदीप कुमार गुप्ता पुत्र महादेव गुप्ता निवासी ग्राम जालिपा नगर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 33 वर्ष।

<u>बरामदगी-</u>

01. मु0अ0सं0 281/2025 से संबंधित चोरी के नगद 3550 रुपए, गुटका सिग्नेचर-6 पुड़िया, सिगरेट-2 डिब्बी, राजश्री गोल्ड-19 पुड़िया, कमला पसंद-30 पुड़िया, राजश्री प्रीमियम मसाला -24 पुड़िया, तंबाकू डबल ब्लैक-46 पुड़िया, तंबाकू सिल्वर टच - 15 पुड़िया, तुलसी तंबाकू-9 पुड़िया, पार्ले जी बिस्कुट 108 पीस, 20-20 बिस्किट्स - 48 पीस, साबुन नहाने का लाइफ बाय- 4 अदद, डेटॉल-2 अदद, लक्स-2 अदद बरामद।

02. मु0अ0सं0 272/2025 से संबंधित चोरी के 20 किलो गेहूं और 20 किलो चावल एवं 04 अदद देशी बम बरामद।

03. 04 अदद देशी बम बरामद।

<u>अपराधिक इतिहास कुलदीप कुमार गुप्ता पुत्र महादेव गुप्ता निवासी ग्राम जालिपा नगर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।</u>

1. मु0अ0सं0 272/2025 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएसथाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 281/2025 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 10/2018 धारा 380 भा0द0वि0 थाना जीआरपी प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 64/2019 धारा 411, 413, 414 भा0द0वि0 थाना जीआरपी प्रतापगढ़

<u>पुलिस टीम का विवरण-</u>

उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 गौतम बनर्जी का0 उपेंद्र यादव, का0 अनिल यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

साइबर सेल प्रतापगढ़

कुल 09 शिकायतों में ₹ 1,90,616/- की धनराशि साइबर सेल प्रतापगढ़ द्वारा पीड़ितों को वापस कराई गई।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय के कुशल निर्देशन व नोडल अधिकारी साइबर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी महोदय प्रतापगढ़ के निकट पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एनसीआरपी पोर्टल एवं पीड़ितों द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच के अनुक्रम में साइबर सेल जनपद प्रतापगढ़ टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये शिकायतकर्ताओं की धोखाधड़ी से आहरित धनराशि उनके खाते में पुनः वापस कराई गई। शिकायतकर्ताओं द्वारा जनपदीय उच्चाधिकारियों व साइबर सेल प्रतापगढ़ टीम का आभार व्यक्त किया गया।

पीड़ितों के खाते में वापस कराये गये धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-

- कुल शिकायतें: 09
- कुल वापस कराई गई राशि: ₹ 1,90,616/-
- ठगी के तरीके: यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ्रॉड कॉल व अन्य तरीकों से ठगी।

जनसामान्य के लिए प्रतापगढ़ पुलिस की अपील:

1. अपने सभी अकाउंट्स के लिए मज़बूत और अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें, और पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें।
2. टू-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन (2FA) हमेशा ऑन रखें, ताकि पासवर्ड लीक होने पर भी अकाउंट सुरक्षित रहे।
3. किसी भी अनजान एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग और परमिशन्स ज़रूर चेक करें।
4. फ्री वाई-फाई नेटवर्क पर संवेदनशील लेन-देन (जैसे बैंकिंग/पेमेंट) करने से बचें।
5. ब्राउज़र में पॉप-अप या संदिग्ध विज्ञापन पर क्लिक न करें, ये मैलवेयर का जरिया हो सकते हैं।
6. बच्चों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक करें और उनके ऑनलाइन व्यवहार पर नज़र रखें।
7. अपने मोबाइल और लैपटॉप में विश्वसनीय एंटीवायरस/फायरवॉल का इस्तेमाल करें।
8. नियमित रूप से अपने बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन चेक करते रहें।
9. कोई भी फाइल शेयरिंग लिंक (जैसे गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप, टेलीग्राम) खोलने से पहले उसकी प्रामाणिकता सत्यापित करें।
10. इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या वेबसाइट http://www.cybercrime.gov.in पर कॉल करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं।

साइबर अपराध से सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।
"साइबर स्पेस में सतर्कता ही असली सुरक्षा कवच है।"

जनपदीय साइबर सेल टीम , प्रतापगढ़ –

1. उ०नि० विंध्यवासिनी तिवारी प्रभारी साइबर सेल।
2. ASI बिपिन बिहारी वर्मा साइबर सेल।
3. का0 दिग्विजय सिंह साइबर सेल।
4. का0 सौरव सिंह साइबर सेल।
5. म0का0 ललिता तोमर साइबर सेल।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ0नि0 अनिश कुमार यादव मय हमराह का० सोनू यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0नं0 7304/2022 धारा 138 एनआई एक्ट थाना पट्टी से संबंधित 01 वारंटी राहुल पटेल पुत्र रमाशंकर यादव निवासी ग्राम सलाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राहुल पटेल पुत्र रमाशंकर यादव निवासी ग्राम सलाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अनिश कुमार यादव मय हमराह का० सोनू यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।